के कारण हस्तगत प्रकरण को माननीय न्यायालय द्वारा पेशी तारीख 14.02.2024 को अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज कर दिया गया। वादीगण के वाद के खारिज होने की जानकारी होने के तुरन्त बाद जरिये अधिवक्ता वाद को पुनः बरामद किए जाने का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया। वादीगण अपनी पैतृक भूमि के कब्जा काश्त की हक हिस्सा अनुसार सरंक्षण हेतु वाद पत्र पेश किया गया था और माननीय न्यायालय द्वारा यदि वाद को पुनः बरामद नहीं किया जाता है,तो के साथ अन्याय होगा। अतः न्यायहित में वादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद पुनः बरामद किया जाने का आदेश फरमावें जावें।

वादी वकील के उक्त प्रार्थनापत्र के तथ्यों की स्वीकारोक्ति प्रतिवादी वकील द्वारा व्यक्त करते हुए अपनी ओर से पुनः बरामद किये जाने में अनापति प्रस्तुत की गई।

हमनें उभयपक्ष की बहस पर मनन किया और मूल पत्रावली का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया तथा विधि के परिप्रेक्ष्य में तथ्यों पर विवेचन किया गया। जिसमें पाया गया की वादीगण का वाद दिनांक 14.02.2024 को वादी साक्ष्य बाबत सुनवाई हेतु नियत था। लेकिन नियत पेशी तारीख पर वादीगण एवं उनके अधिवक्ता के हाजिर नहीं होने पर वादीगण का वाद अदम पैरवी व अदम हाजिरी में खारिज किया गया। चूंकि वादीगण के अधिवक्ता की ओर से मूल वाद को पुनः बरामद किये जाने का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है और माननीय न्यायालय का यह मानना है,कि प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जाना चाहिए एवं वादीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ताकि वे अपने हक हकूको के लिए सम्पूर्ण पैरवी कर सकें। जिसमें प्रतिवादी वकील द्वारा अपनी सहमति व्यक्त की गई है। उपरोक्त विवेचन के उपरांत अदालत यह उचित समझती है,कि वादीगण का वाद पुनः बरामद किया जाना न्यायोचित है।

लिहाजा न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 4 सी.पी.सी. वास्तें आवेदन पुनः बरामद किया जाना स्वीकार किया जाकर न्यायालय के आदेश दिनांक 14.02.2014 को निरस्त किया जाकर प्रार्थीगण का आवेदन पुनः बरामद किया जाता है।।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो एवं नम्बर से कम हो।

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी